न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मूलचन्द लूणियां आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 114/2020
निर्णय दिनांक : 12.10.2022

भगवानाराम पुत्र नन्दाराम उम्र वयस्क जाति जाट (जाखड़) निवासी ग्राम लोढ़सर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

.....वादी

बनाम

1. रघुवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजियक कार्यालय सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिशु एडवोकेट, श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट अधिवक्ता वादी
2. श्री कृष्ण सैनी एड़ प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

राजस्व वाद घोषणात्मक, राजस्व अभिलेख में संशोधन व चिर निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजूपत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजिकृत उपपंजियक कार्यालय सुजानगढ़ में दिनांक 17.06.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह के तत्कालिन राजस्व रेकॉर्ड में खसरा नंबर 405 तादादी 2 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नंबर 406 तादादी 2 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नंबर 407 तादादी 3 बीघा 11 बिश्वा, खसरा नंबर 424 तादादी 6 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नंबर 425 तादादी 6 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नंबर 426 तादादी 14 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नंबर 427 तादादी 4 बीघा, खसरा नंबर 428 तादादी 3 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नंबर 429 तादादी 12 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नंबर 433 तादादी 1 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नंबर 444 तादादी 14 बीघा 14 बिश्वा, खसरा नंबर 445 तादादी 7 बीघा, खसरा नंबर 446 तादादी 5 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नंबर

448 तादादी 6 बीघा 15 बिश्वा, एवं खसरा नंबर 449 तादादी 9 बीघा कुल किता 15 कुल तादादी 100 बीघा 14 बिश्वा वाके रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू में से 6 बीघा 15 बिश्वा भूमि क्रय की थी। वादी द्वारा 6 बीघा 15 बिश्वा भूमि क्रय करने पर विक्रेता भंवरसिंह ने खेत खसरा नंबर 425 तादादी 6 बीघा 15 बिश्वा यानि 1.7070 हैक्टेयर भूमि का कब्जा सुपुर्द किया था। जिस पर वादी का खरीद के पश्चात् से ही पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग, अधिकार चला आ रहा है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र की प्रति तत्कालिन पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये दी थी मगर तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा वादी के नाम विक्रय पत्र के आधार पर भूलवश नामान्तरण दर्ज नहीं किया।

प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व अन्य सह हिस्सेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में उक्त 15 खसरान दर्ज थे, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा एक वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ में खाता विभाजन का प्रस्तुत किया हुआ था जिसमें न्यायालय द्वारा दावा का निर्णय करते हुये डिक्री किया गया। मुताबिक डिक्री व निर्णय के उक्त 15 खसरान का खाता विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह के हिस्से व पांति में खेत खसरा नंबर 184 तादादी 0.9230 हैक्टेयर, खसरा नंबर 203 तादादी 0.1264 हैक्टेयर, खसरा नंबर 268 तादादी 2.4278 हैक्टेयर, खसरा नंबर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 तादादी 0.4425 हैक्टेयर, खसरा नंबर 446 तादादी 1.3277 हैक्टेयर, खसरा नंबर 449 तादादी 2.2761 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल तादादी 9.2305 हैक्टेयर दर्ज हुये जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् भंवरसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान गुमान कंवर पुत्री भंवरसिंह, चैनकंवर पुत्री भंवरसिंह, मंजू कंवर पुत्री भंवरसिंह, मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह, रघुवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह, सज्जन कंवर पुत्री भंवरसिंह के नाम दर्ज हुई। भंवरसिंह के वारिसान गुमान कंवर, चैनकंवर, मंजू कंवर, मोहनकंवर, सज्जनकंवर ने स्वर्गीय भंवरसिंह से प्राप्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर देने से वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह अकेले के नाम खेत खसरा नंबर 184, 203, 268, 425, 433, 446, 449 कुल तादादी 9.2305 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादगत खेत खसरा नंबर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व॰ भंवरसिंह द्वारा वादी को विक्रय करने के पश्चात् कब्जा काश्त में दी हुई थी। जिस पर वादी का खरीद के पश्चात् से ही पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत रूप से जरिये

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.2002 को विक्रय की गई भूमि को वादी के नाम दर्ज नहीं करवायी ना ही वादी को इस तथ्य की जानकारी दी। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा 17.06.2002 को ही वादगत खेत खसरा नंबर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर भूमि को विक्रय कर दिया था व उसी समय खेत खसरा नंबर 425 पर वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से लगातार वादगत खेत खसरा नंबर 425 पर वादी काबिज काश्त है। वादगत खेत खसरा नंबर 425 की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 6 बीघा 15 बिश्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा होने के कारण व वादगत खेत खसरा नंबर 425 रोही ग्राम मलसीसर पर खरीद के समय से पुख्ता कब्जा, उपयोग, उपभोग की भूमि है जिसकी घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है। वादगत खेत की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। जिससे वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड वादी के मुकाबले शुन्य व निरस्तनीय है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जानी न्यायोचित है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 24.09.2020 को विक्रय पत्र दिनांक 17. 06.2002 के आधार पर स्व॰ भंवरसिंह द्वारा विक्रय की गई 6 बीघा 15 बिश्वा भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज नहीं होने बाबत बताया व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से निवेदन किया कि लेकिन वो मानने से इन्कार हो गये। वादगत भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि होने से व वादी को खरीद के पश्चात वादगत भूमि मालिकाना हक की होने के कारण वादाधार प्राप्त है। वादगत भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स्वयं जरिये अपने अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जो तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की और से पैरोकाराज उपस्थित आये जिन्होने प्रकरण में राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया है।

वादी व प्रतिवादी के मध्य वादगत भूमि का राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। राजीनामा के अंकित तथ्यों के अनुसार वादगत खेत खसरा नंबर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी के पिता स्व. भंवरसिंह के द्वारा विक्रय की गई भूमि हैं जिसमें वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाकर वादी के नाम दर्ज की जावे तो प्रतिवादी को कोई आपति नहीं हैं व वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया जायें।

बहस पक्षकारान सुनी गई व मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादी ने राजीनामा में यह स्वीकार किया है कि वादगत खेत 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी के पिता स्व. भंवरसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादी को विक्रय की है। वादगत खेत खसरा नम्बर 425 की भूमि पर विक्रय के समय से वादी का कब्जा, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। वादगत भूमि की खातेदारी प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की हुई है जिसमें वादी को प्रतिवादी के पिता स्व. भंवरसिंह द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर 6 बीघा 15 बिश्वा भूमि विक्रय की हुई है। पक्षकारान में आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामें में प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 1. 7070 हैक्टेयर भूमि दर्ज करने पर राजीनामें के अनुसार सहमति प्रदान की है। उक्त भूमि का पूर्व में विक्रय पत्र भी निष्पादित किया हुआ है। इसलिए राज्य हित भी प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः दावा वादी बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ वादी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है, जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन शून्य है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

मूलचन्द लूणियां
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस**

भगवानाराम बनाम रघुवीर सिह आदि

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरस्ती

मुकदमा न0 114 सन 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु

हाजरी श्री मोहनलाल बिशु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ़ वादी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है, जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन शून्य है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 1.7070 हैक्टेयर रोही ग्राम मलसीसर की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

चीज ..... मुबलिग ..... बाबत .....

.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 **माह 10. 2022**

दस्तखत .....

.....

मुहर ओहदा .....

.....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।